शब्द–ब्रह्म
ISSN 2320 – 0871
भारतीय भाषाओं की अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका
17 जुलाई 2015
पीअर रीव्यूड रेफ्रीड रिसर्च जर्नल

महिलाओं के संवैधानिक अधिकार एवं स्थिति

गिरधारीलाल भालसे (अतिथि विद्वान)
राजनीति विज्ञान
शासकीय महाविद्यालय, पानसेमल
डॉ. विनीता भालसे (अतिथि विद्वान)
राजनीति विज्ञान
शासकीय महाविद्यालय, निवाली, -बड़वानी
मध्यप्रदेश, भारत

शोध संक्षेप

भारतीय समाज में महिलाओं को उनका उचित स्थान दिलाने के लिए संविधान में अनेक प्रावधान किये गए हैं। इनसे सम्बंधित कई क़ानून बनाये गए हैं। लेकिन मानसिकता में परिवर्तन के लिए केवल क़ानून ही पर्याप्त नहीं हैं, जागरूकता भी जरूरी है। स्त्रियों में जागरूकता और पुरुष मानसिकता में बदलाव से महिलाओं की वर्तमान स्थिति में परिवर्तन हो सकता है। प्रस्तुत शोध पत्र में इसी पर विचार किया गया है।

प्रस्तावना

वर्तमान समाज में महिलाओं को पुरूषों के समान अधिकार दिलाने हेतु संविधान में कई प्रकार के नियम व कानूनों की संरचना की गयी है। इन कानूनों में महिलाओं की संवेदनशीलता एवं पिछड़ेपन के कारणों का पता लगाने और इस सम्बन्ध में पुरूषों की मानसिकता में परिवर्तन हेतु संक्षिप्त अवधि वाले कार्यक्रम बनाए गए हैं। इन कार्यक्रमों को परामर्श करके रणनीति तैयार कराने जैसे कार्यक्रम अपनाए गए, जिसमें महिलाओं की स्थिति को सुधारने वाली विधियों को अनुच्छेद-44 की आत्मा के अनुसार अर्थात् राजनीतिक निदेशक तत्व को लागू करने के लिए सभी नागरिकों को स्वतंत्रता एवं समानता के अधिकार सम्बन्धी विधियों को लागू करने की दीर्घकालीन नीति बनाई जा सके।

संविधान में महिलाओं की स्थिति

महिलाओं की वैधानिक स्थिति भारतीय संविधान के अनेक अधिनियमों में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है जो इस प्रकार से है-

महिला विधि, कल्याण एवं न्याय प्रशासन

महिलाओं के अधिकारों के सम्बन्ध में भारत के संविधान में नीति निदेशक सिध्दांतों में विशेष उपबंध किए गए हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद-39 में समान कार्य के लिए समान वेतन देने की बात संकल्प के रूप में दोहराई गई है, जिसमें महिलाओं की दशा सुधारने के लिए कानून में विशेष रूप से श्रमिक विधियों में आपराधिक एवं पारिवारिक सांविधियों में व्यवस्थाएं की गई हैं, जिनमें कुछ इस प्रकार है-

दण्ड प्रक्रिया संहिता में व्यवस्थाएं

संविधान की धारा-51 (2) के अनुसार गिरफ्तार महिला की तलाशी महिला द्वारा ही लिए जाने

शब्द–ब्रह्म
ISSN 2320 – 0871
भारतीय भाषाओं की अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका
17 जुलाई 2015
पीअर रीव्यूड रेफ्रीड रिसर्च जर्नल

का प्रावधान है, धारा-125 से 128 तक महिला तथा बच्चों के भरण पोषण का प्रावधान किया गया है। धारा-160 (ए) तथा किसी महिला को साक्ष्य हेतु उसके निवास पर ही साक्ष्य लेना आदि से संबद्ध है।

महिलाओं की सुरक्षा सम्बन्धी अधिनियम

संविधान की धारा-133 (ए) में विवाहित महिला के सात वर्ष के अन्दर आत्मदाह करने पर, दहेज के कारण सताये जाने पर, हत्या करने की अपधारणा,' बलात्कार के मामले में कतिपय परिस्थितियों पर शिकारग्रसत महिला की सहमति न होने के बारे में उपधारणा निहित की गई है।

कुरीतियों से सम्बन्धित विधियां

सामाजिक व आर्थिक पिछड़ेपन का मुख्य कारण समाज में कुरीतियाँ व्याप्त हैं। भारतीय संविधान में इन बुराइयों को दूर करने हेतु विभिन्न संवैधानिक प्रावधान किये गए हैं, जो निम्न हैं- बाल विवाह प्रतिषेध विधि 1929, अनैतिक देह व्यापर प्रतिषेध, 1956 (1986 में संशोधन हुआ), दहेज प्रतिषेध विधि अधिनियम-1961 (संशोधन अधिनियम, 1984, 1986 तथा 1988), आपराधिक विधि संशोधन, 1963, महिला अभद्र निरूपण प्रतिषेध अधिनियम-1986 , सती प्रथा निवारण विधि 1987 आदि। महिलाओं से सम्बन्धित अन्य सिविल विधियाँ हैं जैसे- द लीगल सर्विस आथोरिटिज एक्ट-1987, द फैमेली कोर्ट एक्ट-1984 आदि अधिनियमों के द्वारा महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा व न्याय दिलाने हेतु प्रतिबद्ध है।

महिलाओं के पक्ष में विभिन्न अधिनियम

1.बंगाल सती प्रथा निषेध अधिनियम, 1829

2.हिन्दु विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, 15 (1856) भारतीय दण्ड संहिता 1860 धारा- 354, 366-ए, 366-बी, 373, 373-ए, 373-बी, 373-सी, 373-डी, 494, 495, 476

3.महिला शिशु हत्या अधिनियम, 1869

4.भारतीय विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1870

5.विशेष विवाह अधिनियम, 1872 एवं 1954

6.सम्पत्ति हस्तान्तरण अधिनियम 1882 धारा-6,डी और धारा-39

7.आपराधिक आचार दण्ड संहिता, 1898, धारा -48, 52, 382

8.बाल विवाह निषेध अधिनियम, 1901 (गायकवाड़-बड़ौदा)

9.सिविल प्रोसिजर कोड 1908, धारा-55, 56, 60

10.लीगल प्रेक्टिशनर्स (महिला) संशोधन अधिनियम, 1923

11.भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925

12.बाल-विवाह निषेध अधिनियम, 1926, 1986 संशोधित

13.हिन्दु महिला सम्पत्ति अधिकार अधिनियम, 1937

14.मुस्लिम विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1939

15.हिन्दु महिला पृथक निवास एवं भरण-पोषण अधिकार अधिनियम, 1946

16.कारखाना अधिनियम, 1948 धाराएँ 27, 48, 66-बी

17.मद्रास हिन्दु द्वि-विवाह निषेध एवं विवाह विच्छेद अधिनियम, 1949

18.वृक्षारोपण श्रमिक अधिनियम 1957, महिलाओं से सम्बन्धित विशेष प्रावधान

19.पारसी विवाह अधिनियम, 1955

20.हिन्दु विवाह अधिनियम, 1955

21.हिन्दु नाबालिग तथा साक्षरता अधिनियम, 1956

22.हिन्दु गोद लेना तथा भरण-पोषण अधिनियम, 1956

23.हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम, 1956

24.महिलाओं तथा कन्याओं का अनैतिक व्यापार निषेध अधिनियम, 1956

25.दहेज निरोधक अधिनियम, 1961 संशोधित अधिनियम, 1984 एवं 1986

26.मातृत्व लाभ अधिनियम, 1971

27.अपराध दण्ड संहिता 1974 धाराए, 47(2),51(2), 95, 125, 128, 160(1), 360(1) और 416

28.समान मजदूरी अधिनियम, 1976

29.कोड आफ सिविल प्रोसीजर एमेण्डमेन्ट एक्ट, 1976 आदेश 32 (ए)

30.अपराधी कानून संशोधन अधिनियम, 1983

31.परिवार न्यायालय, 1985

32.मुस्लिम महिला (तलाक सम्बन्धी संरक्षण) अधिनियम, 1986

33.मानवाधिकार घोषणा, 10 दिसम्बर, 1985

34.भारतीय संविधान अनुच्छेद 14,15,16,42,51(ए),(8) और 49

35.संयुक्त राष्ट्र महासभा घोषणा एवं महिला विभेद उन्मूलन, 1967

36.राष्ट्रीय महिला नीति, 1986 आदि।

महिलाओं के उत्थान से सम्बन्धित संवैधानिक अधिकारों को मूर्त रूप प्रदान करने एवं उपचार हेतु विभिन्न अधिनियमों में संशोधन किया गया है एवं उनकी उपनीतियां बनाई गई हैं। इन संवैधानिक अधिकारों के माध्यम से महिलाओं के उत्पीड़न व सामाजिक न्याय सम्बन्धी समस्त व्यवस्थाओं को अधिनियमित किया गया है जिससे उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके।

चुनौतियाँ एवं संभावनाएं

महिलाएँ किसी भी राष्ट्र, समाज व परिवार की धुरी होती है पर बहुत ही आश्चर्य एवं दुख की बात है कि ''यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता,'' जैसे वचन का अक्षरश: पालन करने वाले भारत जैसे परम्परावादी एवं महान राष्ट्र में आज भी महिलओं की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। पूर्वाग्रहों व विषमताओं के फलस्वरूप उन्हें 21वीं सदी में अनेक समस्याओं तथा पीड़ाओं से होकर गुजरना पड़ रहा है। शिक्षा और आर्थिक अधिकारों से वह कोसों दूर है। मूल्यों का इतना अधिक अवमूल्यन हो गया है कि आज उसे जीवन के अधिकार से ही वंचित किया जा रहा है। भारत की सामाजिक व्यवस्था इस प्रकार की है कि हमारी नींव (धार्मिक ग्रंथ) ही स्त्रियों की जड़ें खोद रही है, जब नींव ही कमजोर हो तो उसकी इमारत कैसे मजबूत हो सकती है।

निष्कर्ष

भारत जैसे सभ्य और विकासशील राष्ट्र में महिलाओं की अस्मिता की रक्षा उनकी समुचित भागीदारी एवं उचित प्रतिनिधित्व हेतु अनेक नियम व कानून बने हैं पर इसके बावजूद आज भी उन्हें योग्यता व उनकी जनसंख्या के अनुपात में उपयुक्त स्थान मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। भारत के संविधान की उद्देषिका हम भारत के लोग शब्द से प्रारंभ है जिसका अर्थ है स्त्री और पुरूष को समानता का दर्जा दिया जाना है। संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत भी महिलाओं को समान अधिकार देने की बात कही गई है। अभी इस दिशा में बहुत कुछ किया जाना बाकी है।

संदर्भ ग्रंथ

1 श्रीवास्तव राजीव, महिला सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति, समसामयिक महासागर,जून- 2009, पृष्ठ-07

2 जोशी आर. पी., मानव अधिकार एवं कर्तव्य, नवजीवन पब्लिशिंग हाउस, अहमदाबाद-2003

3 श्रीवास्तव सुधारानी, भारत में महिलाओं की वैधानिक स्थिति, कामनवेल्थ पब्लिशर्स, नई दिल्ली, 2010

4 शर्मा रमा एवं मिश्रा के. महिलाओं के मौलिक अधिकार, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली-2012